फर्द अहकाम

(नियम 15)

ज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

पी0एन0बी0 बैंक शाखा शाखा बाड़ी। बनाम श्रीमती विजय लक्ष्मी बगैरा

किस्म मुकदमाः—अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 83 सन् 2018

RCMS No. 2018/00139

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.18	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी सुरेश सिंह प्राधिकृत अधिकारी, पी0 एन0 बी0 बैंक शाखा बाड़ी ने अप्रार्थी/ऋणी श्रीमती विजयलक्ष्मी पत्नी श्री अतरसिंह व श्री अतरसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह खसरा नम्बर 1709 कृष्णा कॉलोनी बाड़ी जिला धौलपुर, के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 10.3.16 को गृहऋण हेतु 15,00,000/— व दिनांक 16.03.17 को ओ.डी. लिमिट 500000/— रूपये कुल 20,00000/— रूपये का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु ऋणी ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित हैः— रहवासी मकान खसरा नं0 1709, कृष्णा कॉलोनी, जिला धौलपुर राज0 जो कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री अतरसिंह के नाम से है। ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी/ज़मानतदार ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 16.04.2018 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 03.05.2018 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 1945322/— रूपये मात्र दिनांक 31.08.2017 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The	782-84 24.10.18

(नन्नूमल पहाड़िया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है ।

हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पत्ति रहवासी मकान खसरा नं0 1709, कृष्णा कॉलोनी, जिला धौलपुर राज0 जो कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री अतरसिंह के नाम से है का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो । प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर